रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062025-263622
CG-DL-E-05062025-263622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2025/ज्येष्ठ 14, 1947
No. 325] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2025/JYAISTHA 14, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2025

सा.का.नि. 368(अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षा अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 894(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 14 दिसम्बर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, के नियम 19 के उप-नियम (1) में:-

(1) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्: -

"लेबल एक, दो या तीन पैनल का होगा और केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में मुद्रित होगा तथा सभी लेबल पैनलों का न्यूनतम आकार पैकेज के सम्मुख लगे आकार के अनुसार होगा।

परंतु कि शुद्ध अंतर्वस्तु के आधार पर तीन प्रकार के लेबल होंगे:-

(i) अति लघु पैकज - 1 ग्राम/मि.लि से 50 ग्राम या मि.लि.

(ii) लघु पैकज - 51 ग्राम/मि.लि से 250 ग्राम या मि.लि

(iii) वृहद पैकज - >250 ग्राम या मि.लि

लेबल पर निम्नलिखित जानकारी इस तरह मुद्रित होगी :-

(क) कीटनाशक का नाम (ब्रांड नाम या व्यापार नाम, जिसके अधीन कीटनाशक बेचा जाता है)। परंतु यह कि ब्रांड नाम सामान्य नाम के आकार से 1.5 गुणा से अधिक आकार से बड़ा नहीं होगा तथा सामान्य नाम को ब्रांड नाम से नीचे रखा जाएगा और इसे पैनल के मुख भाग के 20% से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत नहीं किया जाएगा और ब्रांड नाम मोटे अक्षरों में होगा;

(ख) साधारण नाम, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित;

(ग) "उपयोग से पहले पत्रक पढ़े" अनुदेशों को सभी पैकेज आकारों में कम से कम अंग्रेजी और हिंदी भाषा में बड़े अक्षरों में लेबल के शीर्ष पर मुख्य स्थान पर लिखा जाएगा और इसके अतिरिक्त वृहद् पैक आकार के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में जहां यह विक्रय के लिए प्रस्तावित है;

(घ) रसायन का प्रयोजन लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा, उदाहरण के लिए:-

(i) कृषि उपयोग के लिए ;

(ii) नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए ;

(iii) घरेलू उपयोग के लिए ;

(iv) लोक स्वास्थ्य के लिए ;

(v) अन्य (विनिर्दिष्ट)।

(ड.) कीटनाशी के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् संभावित पुनः प्रवेश की अवधि रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित;

(च) विनिर्मिति की संरचना या कीटनाशक;

(छ) उपयोग के लिए अनुदेशों के ब्यौरों हेतु कृपया पत्रक का संदर्भ लें और अनुप्रयोग की रीति और समय तथा फसलों या लक्ष्य क्षेत्र और कीटों के व्यापक प्रवर्ग की सूची जिस पर इसे प्रयुक्त करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है; मात्रा (जिसके अंतर्गत ग्राम सक्रिय संघटक, विनिर्मिति और तनुकरण लीटर और क्षेत्रफल में आता है) विषाक्तता के लक्षण और प्राथमिक उपचार;

(ज) रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित सुरक्षा सावधानियां (कृपया ब्यौरे के लिए पत्रक का संदर्भ लें)

(झ) प्रतिकारक कथन;

(ञ) विनिर्माता का नाम;

(ट) आयातकर्ता और पुनः पैककर्ता (जहाँ भी लागू हो);

(ठ) विपणनकर्ता;

(ड) कीटनाशक की रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(ढ) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या;

(ण) बैच संख्या;

(त) विनिर्माण की तारीख;

(थ) अवसान की तारीख;

(द) अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.) सभी करों सहित;

(ध) शुद्ध अन्तर्वस्तु का भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में);

टिप्पण-1 : विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के उपबंध उपखंड (त) (थ) और (द) के लिए लागू होंगे।

(न) सावधानियां कथन:-

(i) लेबल और पत्रक पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) पत्रकों पर यथानिदेशित उपयोग के पश्चात् कंटेनर को नष्ट करें; और

(iii) रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य चेतावनी या सावधानी कथन।

(प) ग्राहक संपर्क ब्यौरे जैसे कंपनी का नाम, क्यू आर कोड, ई-मेल आई डी और ग्राहक संपर्क संख्या:

परंतु यह कि क्यूआर कोड उपयुक्त स्थान पर खुदरा पैक (यथास्थिति प्राथमिक या द्वितीय पैक) के ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां स्कैनिंग उपकरण द्वारा क्यूआर कोड जैसे मोबाइल फोन में स्कैन करने पर, वेबलिंक या लिंक विनिर्माता कंपनी के यूआरएल खोलने के लिए प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता लेबल और पत्रक की संपूर्ण विशिष्ट सूचना प्राप्त करेगा और क्यूआर कोड में कम से कम निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी:

(क) विशिष्ट पहचानकर्ता या जीटीआईएन;

(ख) बैच संख्या;

(ग) विनिर्माण की तारीख;

(घ) अवसान की तारीख;

(ङ) वेब लिंक या यूआरएल।

टिप्पण-2: अ. मद (प) के उपबंध विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अतिरिक्त हैं

आ. रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् लेबल पर अतिरिक्ति जानकारी जोड़ी जा सकती है।

इ. न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के तल पर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी सुसंगत सुरक्षा चित्र लिपि (**तीसरी अनुसूची में चित्र 1 निर्दिष्ट**) होगी । बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ी चित्र लिपि पैनल के दाहिनी ओर तल पर होगी। छोटे लेबलों के लिए प्राथमिक पैक पर चित्र लिपि प्राथमिक या द्वितीयक पैक पर मुद्रित की जाएंगी तथा अति लघु लेबलों के लिए चित्र लिपि पत्रक पर मुद्रित की जायेंगी और शब्द 'कृपया सुरक्षा चित्र लिपियों के लिए पत्रक निर्दिष्ट करें' लेबल पर वर्णित किए जाएंगे।

(2) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्: -

"(क) अति लघु या लघु पैकेजों को भी एक द्वितीयक पैक में पैक किया जाएगा जिसके लेबल पर, नियम 19 के उप-नियम (1) के खंड (i) की सभी अंतर्वस्तुएं उपदर्शित करते हुए अमिट स्याही से मुद्रित होंगी।

परन्तु यह कि अति लघु या लघु पैकेजों, जिनके प्राथमिक पैक के लेबल में नियम 19 के उप-नियम (1) के खंड (i) की सभी अंतर्वस्तुए अमिट स्याही के साथ विहित आकार से कम फ़ॉन्ट आकार में न हो, के लिए द्वितीयक पैक अपेक्षित नहीं हो सकता।

परन्तु यह और कि अति-लघु पैक के लिए, बहु प्राथमिक पैक को एक द्वितीयक पैक में पैक किया जा सकता है और विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें एक द्वितीयक पैक में पैक करने से पूर्व प्रत्येक प्राथमिक पैक के साथ पत्रक और क्यूआर कोड सुरक्षित रूप से संलग्न किया जाए।

(ख) वृहद् पैकेज का लेबल नियम 19 के उप-नियम (1) के खंड (i) की सभी अंतर्वस्तुओं को उपदर्शित करने वाली अमिट स्याही से मुद्रित किया जाएगा और वृहद पैकेज को द्वितीयक पैक में भी पैक किया जा सकता है।"

(3) खंड (iv) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह कि अति लघु पैक की दशा में, विनिर्मिति या कीटनाशक की संरचना को संक्षेप में 'सक्रिय संघटक और अन्य संघटकों का प्रतिशत' के रूप में उपदर्शित किया जा सकेगा और पूरी संरचना पत्रक पर मुद्रित की जाएगी तथा विनिर्माता का नाम और पता लेबल पर संक्षेप में मुद्रित किया जाएगा और पूरा पता पत्रक पर मुद्रित किया जाएगा।"

3. मूल नियमों के, उप-नियम (3) के पश्चात्, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा:

"परन्तु यह कि अति-लघु पैक के लिए, उक्त वर्ग के आयाम 1 वर्ग सेंटीमीटर (1.0 सेमी x 1.0 सेमी) से कम न हों।"

4. उप-नियम (3) के पश्चात्, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:

"स्पष्टीकरण: उप-नियम (1) और उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,-

(i) कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक किसी ऐसे लेबल या पत्रक, जो कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार न हो, का उपयोग, उक्त नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं करेगा।

(ii) ऐसे लेबल या पत्रक पर लगे कोई कीटनाशक या उसका पैकेज जोकि कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम, 2025 के अनुसार न हो, उक्त नियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीस मास की अवधि के पश्चात्, विक्रय के लिए वितरित,

बेचा, प्रदर्शनी के लिए बेचा या भण्डारित नहीं किया जायेगा, और जब तक कि अन्यथा निदेश न हो, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह स्पष्टीकरण विद्यमान नहीं रहेगा।

5. मूल नियमों के उपनियम (7) में "अन्यथा कथित के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 13035/21/2013-पीपी-I]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 228(अ), तारीख 22 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2025

G.S.R. 368(E).— Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 894 (E), dated the 14th December, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 14th day of December, 2023;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insecticides (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, herein after referred to as the principal rules, in rule 19, in sub-rule (1),-

(1) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) The label shall have either one, two or three panels and shall be printed only in English and Hindi languages and the minimum size of all the label panels shall be according to the size affixed on the face of the package:

Provided that there shall be three types of labels depending on the net content:

(I) ultra small package -1gm or ml to 50 gm or ml;

(II) small package -51 gm or ml to 250 gm or ml;

(III) big package- >250 gm or ml

and the following information shall be printed such on the label, namely:-

(a) name of insecticide (brand name or trade name under which the insecticide is sold) provided that the brand name shall not be of bigger size than 1.5 times size of common name and common name shall be placed below the brand name and it should not occupy more than twenty percent of area of the face of the panel and the brand name shall be in bold;

(b) common name as such approved by Registration Committee;

(c) instructions to "Read Leaflet Before Use" shall be placed on the top of the label in bold, in a prominent place at least in English and Hindi languages in all package sizes and in addition, for big pack size in all such regional languages where it is proposed for sale;

(d) purpose of the chemical shall be mentioned on the label, for example:-

(i) for Agricultural Use;

(ii) for Pest Control Operators;

(iii) for House Hold Use;

(iv) for Public Health; and

(v) others(specify).

(e) optimal re-entry period after each application of insecticide as approved by the Registration Committee;

(f) composition of the formulation or insecticides;

(g) Please refer leaflet for details of directions for use, manner and time of application, and list of crops or target area and broad category of pests on which it is registered to apply, dosage (include gram active ingredient, formulation and dilution in litres and area), symptoms of poisoning and first aid.

(h) safety precautions as approved by Registration Committee (Please refer leaflet for details);

(i) antidote statement;

(j) name of the manufacturer;

(k) imported and re-packed by (wherever applicable);

(l) marketed by;

(m) registration number of the insecticide;

(n) manufacturing license number;

(o) batch number;

(p) manufacturing date;

(q) expiry date;

(r) Maximum Retail Price inclusive of all taxes;

(s) net content weight or volume (in metric system);

Note I: The provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011

shall be applicable for items (p), (q) and (r).

(t) cautionary statement :-

(i) not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets;

(ii) destroy the container after use as directed on leaflet; and

(iii) any other warning or cautionary statement as approved by Registration Committee; and

(u) Customer care details such as Company's name, Quick Response(QR) Code, e-mail id and customer care numbers:

Provided that Quick Response Code shall be placed on retail pack (Primary or Secondary pack as the case may be) at suitable place where on scanning the Quick Response code by scanning equipment like mobile phone, a web link or link for opening the Uniform Resource Locator(URL) of the Manufacturing company shall appear, which on pressing or clicking, shall take the user to the entire unique information of label and leaflet and the Quick Response code shall contain at least the following information, namely:-

(a) Unique Identifier or Global Trade Item Number(GTIN);

(b) batch number;

(c) date of manufacturing;

(d) date of expiry; and

(e) web link or Uniform Resource Locator.

Note II : A. The provisions of item (u) are in addition to the Legal Metrology(Packaged Commodities) Rules, 2011

B. Additional information may be added to the Label after approval by the Registration Committee.

C. All relevant safety pictograms (**refer picture I in the THIRD SCHEDULE**) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. The pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel. They shall be printed only once on the label. For small labels the pictograms on the primary pack shall be printed on primary or the secondary pack and for ultra small labels the pictograms shall be printed on leaflet and the words 'Please refer leaflet for safety pictograms' shall be mentioned on label.

(2) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The ultra small or small packages shall also be packed in a secondary pack whose label shall be printed with indelible ink displaying all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19:

Provided that the secondary packs may not be required for ultra or small packages whose label of primary pack have all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19 with indelible ink in the font sizes not less than size prescribed:

Provided further that for ultra-small packs, multiple primary packs may be packed in one secondary pack and the manufacturer shall ensure leaflet and Quick Response code be securely attached with each primary pack before packing them in one secondary pack.

(b) The label of the big package shall be printed with indelible ink displaying all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19 and the big package may also be packed in a secondary pack."

(3) in clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-

"provided that in case of ultra small packs, composition of the formulation or insecticide may be displayed in short as "percentage of active ingredient and other ingredients" and the complete composition shall be printed on leaflet and the name and address of the manufacturer may be printed in short on label and complete address shall be printed on leaflet."

3. In the principal rules, in sub-rule (3), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"provided that for ultra-small packs, the dimensions of the said square shall be not less than 1 square centimeter (1.0 cm x1.0 cm)."

4. after sub-rule (3), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

"**Explanation.-** For the purposes of sub-rule (1) and sub-rule (3), it is hereby clarified that,-

(i) no registration certificate holder shall use a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (First Amendment) Rules, 2025, after a period of six months from the date of commencement of the said Rules.

(ii) no insecticides or its package bearing a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (First Amendment) Rules, 2025, shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after a period of thirty months from the date of commencement of the said rules and this explanation shall cease to exist after expiry of the said period, unless otherwise directed."

5. In the principal rules, in sub-rule (7) the words " unless stated otherwise" shall be omitted.

[F. No. 13035/21/2013-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended *vide* G.S.R 228(E) dated 22nd March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.06.05 22:32:22 +05'30'